

न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बालाघाट
के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बालाघाट(म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी- आसिफ अब्दुल्लाह

व्य0वा0 प्रक0क0-13ए/16

संस्थित दिनांक 17.03.16

सुखलाल वल्द सकरु उम्र-65 वर्ष, जाति पंवार,
 निवासी ग्राम मिरिया तहसील लांजी जिला बालाघाट म0प्र0
वादी / आवेदक ।

बनाम्

1.रामलाल वल्द सकरु उम्र-60 वर्ष, जाति पंवार,
 निवासी ग्राम मिरिया, तहसील लांजी जिला बालाघाट म0प्र0
 2.म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट
 तहसील व जिला बालाघाट म0प्र0

.....प्रतिवादीगण / अनावेदकगण ।

-::आदेश:-

-:: आज दिनांक 04.05.16 को पारित ::-

1. इस आदेश के द्वारा बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य दिलाये जाने, स्थायी निषेधाज्ञा तथा अन्य समुचित सहायता दिलाये जाने के वाद में आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 जा0दी0 आई0ए0नं0-01 का निराकरण किया जा रहा है।

2. प्रकरण में यह अविवादित है कि आवेदक/वादी तथा अनावेदक/प्रतिवादी क.01 आपस में सगे भाई हैं।

3. आवेदन पत्र इस आशय का है कि आवेदक एवं अनावेदक क.01 जो कि आपस में सगे भाई हैं के स्वत्व एवं कब्जे की भूमि खसरा क्रमांक 127 रकबा 0.012 हे0 तथा आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 128/1 रकबा 0.012 हे0, 332/1 रकबा 0.114 हे0, 332/3 रकबा 0.117 हे0 एवं 333/2 रकबा 0.405 हे0 ग्राम मिरिया प.ह.नं.13 साडरा तहसील लांजी जिला बालाघाट में स्थित है। भूमि खसरा क्रमांक 127 पर एक मकान बना हुआ है जो कि आवेदक एवं अनावेदक क.01 ने फेकनबाई से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 10.01.92 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था, जिसमें दोनों का आधा-आधा हिस्सा है। आवेदक ने उक्त मकान के बंटवारा हेतु तहसीलदार लांजी के समक्ष आवेदन पत्र दिया था जो निरस्त कर दिया गया है।

आवेदक ने अनावेदक क०01 से मकान का बंटवारा करने को कहा लेकिन उसने बंटवारा नहीं किया और मकान निर्माण कर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और आवेदक के साथ मारपीट करने की धमकी देता है। अनावेदक क०01 खसरा नंबर 127 की भूमि पर मकान नवनिर्माण कार्य लगातार चालू रखा है तथा आवेदक के हिस्से की भूमि पर पोर्च बना रहा है। अनावेदक क०01 को नहीं रोका गया तो वह आवेदक के हिस्से पर कब्जा कर लेगा जिससे आवेदक को अपने आधिपत्य की भूमि से वंचित होना पड़ेगा और उसे अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथमदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है। अतः इस आशय का अस्थायी व्यादेश कि अनावेदक क०01 भूमि खसरा क्रमांक 127 पर निर्माण न कराये तथा शेष भूमि पर वह स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से कब्जा न करें एवं न कराये जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक/वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. अनावेदक/प्रतिवादी क०01 द्वारा उक्त आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्यों को अस्वीकार कर आवेदन पत्र का विरोध किया गया है। जवाब आवेदन पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी क०01 का लगभग 30-40 वर्षों से आधिपत्य है और भूमियाँ उसके मालकियत की हैं। वह वादग्रस्त भूमि पर अपना मकान बनाकर परिवार सहित निवास करता आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच लगभग 30-40 वर्ष पूर्व ही पैतृक एवं पारिवारिक भूमियों का बंटवारा हो गया है और वे अपने-अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज होकर निवास करते आ रहे हैं। वादी द्वारा पारिवारिक वैमनस्यता के कारण बंटवारे हेतु तहसीलदार लांजी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हल्का पटवारी द्वारा स्थल पंचनामा दिया गया है कि प्रतिवादी का मकान चार-पांच वर्ष पहले से बना हुआ है। प्रतिवादी ने अपने कब्जे एवं हक की भूमि पर मकान का निर्माण किया है। वादग्रस्त भूमि से लगकर प्रतिवादी के पुत्र यशवंत के पटटे कब्जे की 0.06 डिसमिल की भूमि है जिसपर वह मकान बनाकर निवास कर रहा है। प्रतिवादी का पुत्र लिंबाजी वादग्रस्त भूमि से लगकर द्वारकाबाई से कय की गई जमीन 0.02 डिसमिल पर मकान बनाकर निवास कर रहा है। प्रतिवादी तथा उसके दोनों पुत्र अपना पृथक-पृथक मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं। तहसीलदार लांजी के द्वारा वादी का आवेदन पत्र सारहीन होने से निरस्त किया गया है। प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति वादी के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। जवाब आवेदन पत्र के समर्थन में अनावेदक/प्रतिवादी क०01 द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. आवेदन पत्र के निराकरण हेतु मुख्य अवधारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई व्यादेश जारी न किये जाने से आवेदक/वादी को अपूर्णीय क्षति होना संभाव्य है ?

—सकारण निष्कर्ष:—

प्रथमदृष्टया मामला

6. उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में उभयपक्ष के अभिवचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। खसरा पांचसाला वर्ष 2014-15 के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 127 रकबा 0.012 हे० स्थित मौजा मिरिया आवेदक/वादी सुखलाल तथा अनावेदक/प्रतिवादी क्र. 01 के स्वत्व एवं आधिपत्य में संयुक्त रूप से दर्ज है। कालम नंबर 12 की प्रविष्टि से यह भी दर्शित हो रहा है कि उक्त भूमि पर मकान निर्मित है। खसरा पांचसाला वर्ष 2015-16 के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि अन्य वादग्रस्त भूमियाँ खसरा क्रमांक 128/1 रकबा 0.012 हे०, 332/1 रकबा 0.114 हे०, 332/3 रकबा 0.117 हे० तथा 333/2 रकबा 0.405 हे० आवेदक/वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों से वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 127 जिस पर मकान निर्मित है वह आवेदक/वादी तथा अनावेदक/प्रतिवादी क्र.01 के संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य की होना दर्शित हो रही है तथा अन्य वादग्रस्त भूमियाँ एकमात्र आवेदक/वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य में होना प्रकट हो रही है।

7. अनावेदक/प्रतिवादी क्र.01 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में व्यक्त किया है कि संयुक्त खाते की भूमि के संबंध में सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि के प्रत्येक अंश पर प्रत्येक सहखातेदार के कब्जे की उपधारणा होती है। ऐसी स्थिति में सहखाते की भूमि में कब्जे के संबंध में सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में आवेदक/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 127 पर बंटवारा हुये बिना अनावेदक/प्रतिवादी क्र.01 द्वारा किये जा रहे निर्माण पर रोक लगाये जाने संबंधी अस्थायी व्यादेश चाहा गया है। ऐसी स्थिति में सहखाते की भूमि होने के बावजूद जब-तक बंटवारा नहीं हो जाता तथा सहमति से निर्माण नहीं किया जाता व्यादेश जारी किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है क्योंकि सहमति एवं बंटवारा के बिना सहखाते की भूमि पर एक सहखातेदार

द्वारा निर्माण किये जाने से दूसरे सहखातेदार को असुविधा एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

8. अनावेदक/प्रतिवादी क.01 द्वारा जहाँ एक ओर जवाब आवेदन पत्र में अभिवचन किया गया है कि उसके एवं आवेदक/वादी के बीच भूमियों का 30-40 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया है और वे अलग-अलग निवास कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 127 को संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य की होना तथा अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है तर्क में व्यक्त किया है जो कि परस्पर विरोधाभासी है। वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 127 राजस्व अभिलेखों से आवेदक/वादी एवं अनावेदक/प्रतिवादी क.01 के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना दर्शित हो रही है। अतः यह तथ्य कि उक्त भूमि का बंटवारा हो चुका है साक्ष्य की विषयवस्तु है। राजस्व अभिलेखों से शेष वादग्रस्त भूमियों आवेदक/वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की प्रकट हो रही है। म0प्र0 भूराजस्व संहिता की धारा 117 के प्रावधानों से भी स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों के सत्य होने की उपधारणा की जावेगी जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये।

9. अनावेदक/प्रतिवादी क.01 द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 127 रकबा 0012 हे0 से भिन्न अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की किसी अन्य भूमि पर निर्माण किया जा रहा है इस संबंध में कोई दस्तावेज/राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनावेदक/प्रतिवादी क.01 ने उसके पुत्र यशवंत एवं लिंबाजी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि 0.06 डिसमिल व 0.02 डिसमिल जो कि वादग्रस्त भूमि से लगकर बताई गई है से संबंधित भी कोई दस्तावेज/राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि वस्तुतः अनावेदक/प्रतिवादी क.01 अपने या अपने पुत्रगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर निर्माण कर रहा है। न्यायालय तहसीलदार लांजी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 11/अ-27/2014-15 से प्रकट हो रहा है कि यह प्रकरण आवेदक/वादी के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 व धारा 32 म0प्र0 भूराजस्व संहिता से उद्भूत हुआ जिसमें न्यायालय तहसीलदार द्वारा संबंधित हल्का पटवारी से प्रतिवेदन आहूत किया गया और प्रकरण इस आधार पर कि वादग्रस्त भूमि पर मकान निर्मित है जिससे आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 म0प्र0 भूराजस्व संहिता के तहत पोषणीय नहीं है निरस्त किया गया है।

10. उक्त राजस्व प्रकरण में आहूत प्रतिवेदन के साथ संलग्न स्थल पंचनामा में यह उल्लेख है कि मौके पर अनावेदक रामलाल जो कि हस्तगत प्रकरण में अनावेदक/प्रतिवादी क.01 है द्वारा आवेदित भूमि खसरा क्रमांक 127 रकबा 0.012 हे0 जो कि वादग्रस्त

भूमि है पर निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल पंचनामा में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है कि निर्माण कार्य खसरा नंबर 130 पर जैसा कि प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है पर किया जा रहा है। जबकि स्थल पंचनामा जो कि मौके पर बनाया गया है में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि निर्माण कार्य भूमि खसरा क्रमांक 127 पर न होकर 130 पर हो रहा है तब किस आधार पर तहसीलदार को इस आशय का प्रतिवेदन दिया गया कि निर्माण भूमि खसरा क्रमांक 127 पर न होकर 130 पर हो रहा है, स्पष्ट नहीं है। यह भी कि प्रतिवेदन के साथ संलग्न नजरी-नक्शा में स्वयं पटवारी द्वारा यह दर्शाया गया है कि खसरा क्रमांक 127 के अंश भाग पर निर्माण हो रहा है जो कि विवादग्रस्त है, तब प्रतिवेदन में उक्त तथ्य का उल्लेख क्यों नहीं किया गया यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में पटवारी के द्वारा उक्त राजस्व प्रकरण में दिये गये प्रतिवेदन की सत्यता प्रथमदृष्टया ही संदेह की परिधि में है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन

11. वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 127 रकबा 0.012 हे० राजस्व अभिलेखों से आवेदक/वादी तथा अनावेदक/प्रतिवादी क्र. 01 के स्वत्व एवं आधिपत्य की तथा शेष वादग्रस्त भूमियाँ आवेदक/वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना दर्शित हो रही है। तहसीलदार लांजी के राजस्व क्रमांक 11/अ-27/2014-15 में दिये गये नजरी-नक्शा से भी दर्शित हो रहा है कि भूमि खसरा क्रमांक 127 के अंश भाग जिसे उक्त नजरी-नक्शा में वादग्रस्त बताया गया है पर अनावेदक/प्रतिवादी क्र.01 द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त राजस्व प्रकरण में दिया गया प्रतिवेदन प्रथमदृष्टया संदेह की परिधि में है। प्रथमदृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 127 का बंटवारा हुये बिना तथा आवेदक/वादी की सहमति के बिना कोई निर्माण कार्य अनावेदक/प्रतिवादी क्र.01 द्वारा किया जाता है तथा अन्य वादग्रस्त भूमियाँ जो कि आवेदक/वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की है में अनावेदक/प्रतिवादी क्र.01 द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो निश्चित ही आवेदक/वादी को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अतः सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में पाया जाता है।

अपूर्णनीय क्षति

12. जबकि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है तब ऐसी स्थिति में आवेदक/वादी के पक्ष में अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो उसे अपूर्णीय

क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः अपूर्णीय क्षति का तत्व भी आवेदक/वादी के पक्ष में पाया जाता है।

13. उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक/वादी अस्थाई निषेधाज्ञा के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपने पक्ष में दर्शाने में सफल रहा है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अनावेदक/प्रतिवादी क.01 को निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 127 रकबा 0.012 हे0 स्थित मौजा मिरिया तहसील लांजी जिला बालाघाट में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य वाद के निराकरण तक नहीं करेगा। इसी प्रकार अन्य वादग्रस्त भूमियाँ खसरा क्रमांक 128/1 रकबा 0.012 हे0, 332/1 रकबा 0.114 हे0, 332/3 रकबा 0.117 हे0, 333/2 रकबा 0.405 हे0 स्थित मौजा मिरिया तहसील लांजी जिला बालाघाट में वादी के आधिपत्य में वाद के निराकरण तक न तो स्वयं और न ही किसी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप करेगा या करायेगा।

दिनांक 04.05.2016

स्थान— बालाघाट म.प्र.।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही/—

(आसिफ अब्दुल्लाह)

प्र0व्य0न्याया0वर्ग—1 बालाघाट
के अति0न्याया0 बालाघाट

सही/—

(आसिफ अब्दुल्लाह)

प्र0व्य0न्याया0वर्ग—1 बालाघाट
के अति0न्याया0 बालाघाट